

# अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 84/2019.

मंजु देवी

बनाम्

श्रीमती मंजु देवी

18-06-2019. चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या श्रीमती मंजु देवी के आवेदन संख्या 2043

18-06-19

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि पुष्पम प्रभु (1) मंजु देवी (2) शिव प्रभु (3) सत्यम 05-07-19

शिव (4) अशोक शिव (5) अशोक शिव 13-07-19

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग 19-07-19

होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण 23-07-19

रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई 24-07-19

आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26-07-19

उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध 30-07-19

करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 27-06-19 तक दाखिल करें। 05-08-19

10-08-19

14-08-19

16-08-19

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
वार्ड नं0 08 चक्रधरपुर		109	201	70 मीटर X 3 मीटर	पूर्व - रोड पश्चिमी - रोड उत्तर - पुष्पम प्रभु (निज) दक्षिण - शिव प्रभु (निज)
नगर पार्किंग			दक्षिण दिशा		

18-6-19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।  
18-06-19

16-08-19

अखिलेश उपाध्याय / युवा मंडल के बारे में जानकारी द्वारा काल  
लान कावरी की गई।

21-8-19

अखिलेश उपाध्याय (युवा मंडल) काद  
काल कावरी का युवा है।  
फलतः काद की परिवर्तन समाप्त  
की जाती है।

अखिलेश  
21-8-19